

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है। निम्नांकित लोक सेवक को राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50 (1) के प्रावधानानुसार शर्तें पूर्ण करने पर एवं इनके स्वयं की प्रार्थना पर इनके नाम के सामने कॉलम संख्या 07 में अंकित तिथि से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है :-

क्र.सं.	नाम	जन्म तिथि	पद	पदस्थापन स्थान	राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहने की दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
01	भागचन्द जैन	01.06.1963	प्रधानाचार्य	राउमावि कुचील ब्लॉक किशनगढ़ जिला अजमेर	07.10.1989	01.12.2022

❖ प्रारूप-6 में संतोषप्रद सेवा प्रमाण-पत्र, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के उपरान्त पृथक से जारी किया जाएगा।

(गौरव अग्रवाल)

आइ.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा/माध्य/संस्था-एबी/ए-2/स्वै0से0नि0 (49)/2020 दिनांक : 22-9-2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

01. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा- अजमेर संभाग अजमेर।
02. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड बाबत।
03. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा अजमेर।
04. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर।
05. संबंधित कार्मिक ।
06. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर